

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 245/2017

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

श्री राजू पिता मांगु सांसी जाति सांसी उम्र वयस्क निवासी सालरिया तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. बालू पिता भज्जा सुवालका जाति सुवालका उम्र वयस्क निवासी सालरिया तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. श्रीमति बरजी पत्नि बालू सुवालका जाति सुवालका उम्र वयस्क निवासी सालरिया तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. श्रीकिशन पिता शंकर बैरवा उम्र वयस्क निवासी सालरिया तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. धन्ना पिता शंकर बैरवा उम्र वयस्क निवासी सालरिया तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

--:: आदेश ::--

दिनांक 11/02/17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 18/12/16 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम - सालरिया, पटवार हल्का - सातोला का खेडा, भू.अ.नि.क्षेत्र सवाईपुर, तहसील- कोटडी, जिला-भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की आराजी सं. 109/3 रकबा 2 बीघा, आराजी सं. 454/109 रकबा 3 बिस्वा, आराजी सं. 455/109 रकबा 9 बीघा कुल कीता 3 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक सवाईपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट माफत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

--:: आदेश ::--

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम - सालरिया, पटवार हल्का - सातोला का खेडा, भू.अ.नि.क्षेत्र सवाईपुर, तहसील- कोटडी, जिला-भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की आराजी सं. 109/3 रकबा 2 बीघा, आराजी सं. 454/109 रकबा 3 बिस्वा, आराजी सं. 455/109 रकबा 9 बीघा कुल कीता 3 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 600 रुपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाड़ा